


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

—:: कार्यालय—आदेश ::—

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: शिविरा:—मा/संस्था/सी-4/नियुक्ति— रसायन विज्ञान/पीएससी/2015 दिनांक: 18.07.2015 एवं 14.03.2016 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) रसायन विज्ञान, के पद पर वर्ष 2013 में चयनित निम्न प्राध्यापक का परिवीक्षणकाल समाप्त होने पर उनके नाम के सामने कालम संख्या 07 में अंकित तिथि से प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) रसायन विज्ञान के पद पर वेतन शृंखला Level 12 में स्थाई किया जाता है:—

क्र. सं.	मेरिट क० व वर्ग	प्राध्यापक नाम मय पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	विषय	जन्मतिथि	कार्यग्रहण तिथि	स्थाईकरण एवं नियमित वेतन शृंखला प्राप्त करने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	M-101 OBC	VINITA JANGIR GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL HARSANA (216549) LAKSHMANGARH ALWAR	CHEMISTRY	30-09-1985	20-07-2015	21-11-2017

नोट:—कार्मिक द्वारा परिवीक्षाकाल अवधि में लिए गये कुल 154 दिवस के असाधारण अवकाश का उपभोग करने पर इनकी स्थाईकरण एवं नियमित वेतन शृंखला प्राप्त करने की तिथि में नियमानुसार 124 दिवस की वृद्धि की गई है।



(सौरभ स्वामी)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक:—शिविरा/माध्य/संस्था/सी-4/प्रो.टे/रसायन विज्ञान/स्थाईकरण/2015/2018-19 दिनांक:—01/04/2024
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- 1 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
- 2 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)—माध्यमिक।
- 3 संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि.....।
- 4 संबंधित कार्मिक.....।
- 5 अनुभाग अधिकारी— वरिष्ठता/एसीआर/एबी/ओएसी, कार्यालय हाजा।
- 6 अनुभाग अधिकारी— कम्प्युटर, कार्यालय हाजा।
- 7 निजी एवं रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

—:: कार्यालय-आदेश ::—

इस कार्यालय के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनोपरान्त प्राध्यापक वेतन पे मैट्रिक्स लेवल-12 के पद पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-15(1) एफ.डी./नियम/2017 दिनांक: 09.12.2017 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के प्रावधानान्तर्गत 02 वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत स्थिर मानदेय पर/विधमान में नियुक्त किये गये निम्नांकित रसायन विज्ञान प्राध्यापकों को कार्यग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की अवधि संतोषप्रद रूप में पूर्ण किये जाने पर राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 24 एवं राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के नियम 05 (vi & vii) एवं अनुसूची 1 में अंकित प्रावधानानुसार उनके नाम के सामने कॉलम सं. 08 में अंकित दिनांक से नियमित वेतन श्रृंखला पे मैट्रिक्स लेवल-12 एवं देय नियमानुसार अन्य भत्ते आहरण करने की व नियमित करने की व नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है एवं साथ ही उक्त तिथि (कॉलम संख्या 08 में अंकित) से इनका प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पद पर स्थाईकरण किया जाता है:-


क्र. सं.	वर्ग	पुराना मेरिट क्रमांक	नया मेरिट क्रमांक	प्राध्यापक नाम मय पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	जन्मतिथि	कार्यग्रहण तिथि	स्थाईकरण एवं नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ST,RG	712	722	NARESH CHAND MEENA Govt. Senior Secondary School Bhopur Bahadurpur TODABHIM, KARAULI	20-07-1982	07-11-2016	07-11-2018


(सौरम स्वामी)

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-4/प्रो.टे/रसायन विज्ञान/स्थाईकरण/2015/2018-19दिनांक:-01/04/2021
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग।
- 2 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक।
- 3 संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि.....।
- 4 संबंधित कार्मिक.....।
- 5 अनुभाग अधिकारी- वरिष्ठता/एसीआर/एबी/ओएसी, कार्यालय हाजा।
- 6 अनुभाग अधिकारी- कम्प्युटर, कार्यालय हाजा।
- 7 निजी एवं रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

:: कार्यालय-आदेश ::

इस कार्यालय के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनोपरान्त प्राध्यापक वेतन पे मैट्रिक्स लेवल-12 के पद पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-15(1) एफ.डी./नियम/2017 दिनांक 09.12.17 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के प्रावधानान्तर्गत 02 वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत स्थिर मानदेय पर/विद्यमान में नियुक्त किये गये निम्नांकित जीवविज्ञान प्राध्यापकों को कार्यग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की अवधि संतोषप्रद रूप में पूर्ण किये जाने पर राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 24 एवं राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के नियम 05 (vi & vii) एवं अनुसूची 1 में अंकित प्रावधानानुसार उनके नाम के सामने कॉलम सं. 08 में अंकित दिनांक से नियमित वेतन श्रृंखला पे मैट्रिक्स लेवल-12 एवं देय नियमानुसार अन्य भत्ते आहरण करने की व नियमित करने की व नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है एवं साथ ही उक्त तिथि (कॉलम संख्या 08 में अंकित) से इनका प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पद पर स्थाईकरण किया जाता है:

क्र.स.	वर्ग	पुराना मेरिट क्रमांक	नया मेरिट क्रमांक	प्राध्यापक नाम मय पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	कार्यग्रहण तिथि	स्थाईकरण एवं नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ST,WE, RG	0	548	SANTOSH MEENA GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL VAJIRPUR (212835) GANGAPUR CITY, S.MADHOPUR	07-07-1982	12-11-2018	12-11-2020



(सौरम स्वामी)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-4/प्रो.टे/जीव विज्ञान/स्थाईकरण/2015/2018-19 दिनांक:-01/04/2021
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
- 2 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक।
- 3 संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि.....।
- 4 संबंधित कार्मिक.....।
- 5 अनुभाग अधिकारी- वरिष्ठता/एसीआर/एबी/ओएसी, कार्यालय हाजा।
- 6 अनुभाग अधिकारी- कम्प्युटर, कार्यालय हाजा।
- 7 निजी एवं रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर